बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संo संo–17 / विविध 1–155 / 2020 – 373(17)   पटना, दिनांक :– 15 / 04 / 2025

डाo रिजवाना बरकात तत्कालीन सीनियर रेजिडेन्ट (टेन्योर), चर्म एवं रति रोग विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया सम्प्रति टेन्योर अवधि पूर्ण कर सेवामुक्त होने के उपरान्त दिनांक–01 10.2021 से 09 09 2022 तक की अवधि का वेतन भुगतान करने हेतु विभाग को Legal Notice उपलब्ध कराया गया है।

2. विदित हो कि डाo रिजवाना बरकात की नियुक्ति विभागीय अधिसूचना सख्या–55(17) दिनांक–22.01.2019 द्वारा सीनियर रेजिडेन्ट के तीन वर्षीय टेन्योर पद पर चर्म एवं रति रोग विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया में की गयी थी। जिसके आलोक में दिनांक–01.02.2019 को योगदान समर्पित किया गया। डाo बरकात पदस्थापन अवधि के दौरान दिनांक–30.09.2020 से बिना विभागीय अनुमति के R.G.U.S.H. Bengluru से एक वर्षीय फेलोशिप करने चली गयी। उक्त फेलोशिप करने के उपरान्त इनके द्वारा दिनांक–01.10.2021 को अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया के समक्ष योगदान समर्पित किया गया, जिसके (बिना विभागीय अनुमति के फेलोशिप के लिये प्रस्थान कर जाने के कारण) आलोक में अधीक्षक द्वारा विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी। साथ ही. डाo बरकात द्वारा भी दिनांक–09.09.2022 को विभाग में अभ्यावेदन समर्पित करते हुए शेष टेन्योर अवधि पुर्ण करने हेतु अनुरोध किया गया। डाo बरकात द्वारा समर्पित उक्त अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए विभागीय आदेश संख्या–759(17) दिनांक–09.09.2022 द्वारा उक्त फेलोशिप हेतु विभागीय अनुमति (घटनोत्तर) के साथ–साथ अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया में योगदान की स्वीकृति एव शेष टेन्योर अवधि पुर्ण करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी। तदालोक में इनका योगदान दिनांक–10 09.2022 के प्रभाव से अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया द्वारा स्वीकृत किया गया।

3. सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्त्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली–2008 एव संशोधन नियमावली–2013 के कंडिका–06(ङ) में अंकित है कि "टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरान्त वैसे चिकित्सक जो स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्य नहीं है उनकी टेन्योर समाप्ति के पश्चात वे उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नही कर सकेंगे, जबतक की उन्हें इस नियमावली के तहत किसी नये पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है।"

ज्ञातव्य हो की डाo बरकात उक्त फेलोशिप करने के पूर्व 01 वर्ष 07 माह 21 दिन कार्य कर चुकी थी। फेलोशिप करने के उपरान्त उनका योगदान दिनांक–10.09.2022 को स्वीकृत होने के पश्चात शेष टेन्योर अवधि 01 वर्ष 04 माह 09 दिन दिनांक–11.01.2024 को पुर्ण हो चुकी है तथा डाo बरकात के उक्त तीन वर्षीय टेन्योर अवधि के वेतन का भुगतान अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया द्वारा किया जा चुका है।

4. अतः उक्त .के आलोक में डाo रिजवाना बरकात, सीनियर रेजिडेन्ट (तीन वर्षीय टेन्योर), चर्म एवं रति रोग विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया का दिनांक–01.10.2021 से 09 09.2022 तक के वेतन भुगतान की मॉंग जो प्रभावी तत्संबंधी प्रावधान के आलोक में नियमसंगत नहीं है, को सम्यक् विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जाता है।

5. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

हo / –

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

P.T.O

D/Alam Sir/ Aadesh Format

(02).

ज्ञापांक–17 / विविध 1–155 / 2020 – 373(17)   पटना, दिनांक :– 15 / 04 / 2025

प्रतिलिपि :– श्री ए० ए० सिद्दीक, अधिवक्ता, पिता–स्व० एम० ए० सिद्दीक, सेवानिवृत जिला न्यायाधीश, नगमतिया कॉलोनी,रोड नं०–01 नगमतिया रोड, गया, पिन कोड–823001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा० रिजवाना बरकात, सीनियर रेजिडेन्ट (टेन्योर), चर्म एवं रति रोग विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया, ई० मेल– rizwanabarkat@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर / प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Prem Kumar 15/04/2025
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D/Alam Sir/ Aadesh Format

D/Alam Sir/ Aadesh Format